

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,

वेतना कार्ड बू. हा. स्कूल खन्ना कार लौनी,  
गाजियाबाद ।

पत्रांक सं: शि०स०/३३२६-३३०/२००८-०९ दिनांक ३१-१२-०८

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 27-12-2008 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

- 1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्त पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती ।
- 2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजेक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।
- 3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान एवं सर्वधर्म समझाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।
- 4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।
- 5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा । भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।
- 6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे ।
- 7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।
- 8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- 9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।
- 13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,

  
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

पू0सं0 शि0स0 /

2008-09

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र,
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, लौनी

  
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

प्रेषक

जिला ग्रेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद।

प्रिया

प्रबन्धक  
वैताना कार्येन्ट स्कूल  
85, खन्ना नगर  
लोनी, गाजियाबाद।

पत्राक / शि०स० / मान्यता /

7762-63

/ 2013-14

दिनांक— 11/2/14

**विषय :** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 31.08.2013 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वती पत्रावार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं चेताना कार्येन्ट स्कूल 85, खन्ना नगर लोनी, गाजियाबाद को प्रगति स्तर की स्थायी मान्यता की अवधि के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 की कार्यवाही में प्रदत्त सहमति के आधार पर अनन्ति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

इससंबंध मान्यता निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है—

1. मान्यता को मंजुरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वायता दिक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांग 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांग 2) के उपर्योग का प्रतिनिर्देश करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नसीरी कक्षा में), तथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षों ने बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोन के कमज़ोर दर्दों और सुनिक्षिप्त विद्युत लम्फू के बालकों की विवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उपर ने निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की धारा 2 के उपर्योग के अनुसार प्रतिनिर्देश दिया जाएगा, ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक बैक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी, विद्यालय किसी कौटिंगेशन शुल्क का सम्बन्ध नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी रक्षणिग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को सरकी आयु का राबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्योग का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
  - प्रवेश-द्वारा यादृच्छिकी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में केल नहीं किया जाएगा वा उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या नानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
  - प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई घोड़ परीक्षा उन्नीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने वाले वर्तक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रभाग-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - उपर्योग के अनुसार निःशब्दता प्रस्तु/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की भी अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियोग अवर्म कर्तव्यों का पालन करता है, और

- अध्यापक रवयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
  - 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चाओं के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
  - 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में धर्माधिनियमिट्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निश्चयण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—
- |   |   |
|---|---|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 450 वर्ग गज कुल निर्भित क्षेत्र 450 वर्ग गज कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल   | कक्षाओं की सख्त्या 11 प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भण्डार के लिए कक्ष |
| वालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय हैं पैदल सुविधा हैं   | गिड—डे गील पकाने के लिए रसोई बाधा रहित पहुंच हैं                      |
| अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता  |   |
| 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।  |   |
| 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।   |   |
| 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।   |   |
| 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम/संगठन या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।  |   |
| 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।  |   |
| 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रा०स्था०५ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।  |   |
| 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रत्युत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निवेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के नार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं। |   |
| 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।   |   |
| 17. संलग्न उपादेश के अनुसार अन्य कोई शर्त।  |   |
| 18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।   |   |

गवर्दीय

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद

पृ०सं०/शि०सं०/

/2013-14

तददिनांक-

प्रतिलिपि—निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. खण्ड शिक्षा अधिकार विकासखण्ड— लोनी।
2. कार्यालय प्रति।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद